

पीपीएल-719

दिनांक- 14.06.2024

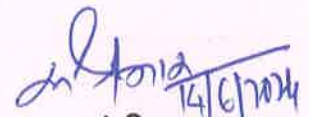
परिपत्र संख्या:21/2024

विषय:- पूर्व कार्मिकों/ आश्रितों द्वारा चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति से संबंधित।

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा अपने पूर्व कार्मिकों तथा उनके आश्रितों के हित को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना बनाई गयी है जिसके तहत सभी पूर्व कार्मिकों तथा उनके आश्रितों के इलाज पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है। एनएचपीसी की चिकित्सा नियमावली के अनुसार इलाज पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति लिए जाने हेतु दावे, सभी वांछित दस्तावेजों जैसे कि चिकित्सक परामर्श पर्ची, बिल, आदि सहित, सामान्यतः उपचार पूरा होने की तिथि से 3 महीने के भीतर प्रस्तुत किए जाने होते हैं परन्तु, सामान्यतः यह देखा गया है कि दावे समयसीमा समाप्त होने के उपरांत प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

अतः सभी पूर्व कार्मिकों / आश्रितों से अनुरोध है कि उक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रतिपूर्ति हेतु दावे निर्धारित समय-सीमा अर्थात् 03 माह के भीतर प्रस्तुत किए जाएँ।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(संजीव कुमार)

उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
नीति अनुभाग

वितरण:- मानक।